स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 38, दिनांक 23–01–2025

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त/सरगना लल्लन यादव गिरफ्तार

दिनाक 23–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुये रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अपराधी/सरगना लल्लन यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

लल्लन यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी बोरसिया फादनपुर, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर हाल पता श्रीनगर कॉलोनी पहडिया, थाना सारनाथ,ा जनपद वाराणसी।

बरामदगीः–

1–मोबाइल फोन–01अदद।
2–आधार कार्ड–01अदद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

जनपद वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत श्रीनगर कॉलोनी के पास। दिनांक 23–01–2025।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के संबंध में दिनांक 23–01–2025 को उ0नि0 श्री शहजादा खॉ एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी एस0टी0एफ0 टीम के साथ धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि इसी दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का सरगना व थाना घोसी जनपद मऊ से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी लल्लन यादव, जनपद वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत श्रीनगर कॉलोनी के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उक्त टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर लल्लन यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि लल्लन यादव वर्ष 1998 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। वर्ष 2010 में अवकाश से आने के उपरान्त फिर नौकरी पर वापस नही गया। इसके बाद सेना में भर्ती कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी करने लगा। वर्ष 2017 में लगभग 50 अभ्यर्थियों से सेना में भर्ती कराने के नाम पर प्रति अभ्यर्थी 03 लाख रूपये के हिसाब से पैसा लिया, जिसमें से ज्यादातर पैसा अपने बैंक खाता में लिया।

उल्लेखनीय है कि नौकरी के नाम पर ठगी से इकठ्ठा किये गये पैसे से यह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बलिया संसदीय क्षेत्र से बसपा का प्रत्याशी रहा था, परन्तु चुनाव हार गया। भर्ती न होने पर संबंधित अभ्यर्थी व उनके परिजन इससे अपना पैसा वापस मांगने लगे,

परन्तु यह अपना राजनीति प्रभाव दिखाकर पैसा वापस करने में टालमटोल करता रहा। कुछ का पैसा इसने वापस भी किया और कुछ लोगों को बैंक का चेक दे दिया। ज्यादा दबाव पडने पर इसने कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। इन सब की जानकारी होने पर अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इन्हीं अभियोगों में से एक अभियोग जनपद मऊ के थाना घोसी पर मु0अ0सं0 293/2024 धारा 419/420/467/ 468/471/406/506 आई0पी0सी0 इसके विरूद्ध पंजीकृत हुआ है, जिसमें यह काफी समय से फरार चल रहा था, जिसमें जनपद मऊ पुलिस द्वारा रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। लल्लन यादव वाराणसी में लुकछिप कर रह रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त लल्लन यादव का अपराधिक इतिहासः–</u>

क्रसं	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	512/17	419/420/467/468/471आईपीसी	सारनाथ	वाराणसी
02	279/17	419/420/467/468आईपीसी	पलामू शहर	पलामू झारखण्ड
03	10/17	419/420/406/506आईपीसी	सारनाथ	वाराणसी
04	280/18	419/420/406/506आईपीसी	सारनाथ	वाराणसी
05	20/18	419/420/406आईपीसी	सारनाथ	वाराणसी
06	215/20	419/420/467/468/471/504/506आईपीसी	सिगरा	वाराणसी
07	96/20	419/420/406आईपीसी	सारनाथ	वाराणसी
08	400/21	419/420/467/468/471/406/506आईपीसी	घोसी	मऊ
09	364/21	419/420/504/506आईपीसी व 138 एनआई एक्ट	नोनहरा	गाजीपुर
10	293/24	419/420/467/468/471/406/506आईपीसी	घोसी	मऊ
11	परिवाद सं0 2324/19	138 एनआई एक्ट	न्या0विशेष मजिस्ट्रेट	प्रयागराज
12	परिवाद सं0 3841/17	138 एनआई एक्ट	न्या0 जे0एम0 द्वितीय	वाराणसी
13	परिवाद सं0 266/18	138 एनआई एक्ट	न्या0एसीजेएम	गाजीपुर
14	परिवाद सं0 02/18	138 एनआई एक्ट	अ0न्यायालय	वाराणसी
15	परिवाद सं0 378/19	138 एनआई एक्ट	न्या0विशेष मजिस्ट्रेट	गाजियाबाद
16	परिवाद सं0 2427/19	138 एनआई एक्ट	न्या0जे0एम	मऊ
17	परिवाद सं0 25433/19	138 एनआई एक्ट	न्या0जे0एम0	मऊ
18	परिवाद सं0 7468/20	138 एनआई एक्ट	न्या0 जे0एम0	मऊ
19	परिवाद सं0 7411/20	138 एनआई एक्ट	न्या0जे0एम0	मऊ
20	परिवाद सं0 4645/20	138 एनआई एक्ट	न्या0जे0एम0	मऊ

21	परिवाद सं0 666/22	138 एनआई एक्ट	अ0 न्यायालय	वाराणसी
22	परिवाद सं0 663/21	138 एनआई एक्ट	अ0न्यायालय	वाराणसी
23	परिवाद सं0 889/23	138 एनआई एक्ट	अ0न्यायालय	वाराणसी

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त लल्लन यादव को मु0अ0सं0 293/2024 धारा 419/420/467/468/471/406/506 आई0पी0सी0 में थाना घोसी जनपद मऊ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।